

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 24/2020- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 453(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, पहले परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में है, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन तिमाही जुलाई-सितंबर, 2019 के दौरान की गई माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में 24 मार्च, 2020 तक प्रस्तुत करेंगे।”।

2. यह अधिसूचना 30 नवंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 453(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 52/2019-केंद्रीय कर, तारीख 14 नवंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 846(अ) तारीख 14 नवंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।